न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरूण कुमार हसीजा,आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र रसद संख्याः 02/2021

दायर दिनांकः 30.09.2021

निर्णय दिनांक 03.10.2025

—:अनवानः—

राज्य सरकार जरिये श्री जितेन्द्र ऑचलिया पुलिस उप अधीक्षक वृत नाथद्वारा

— **प्रार्थी**

—:: बनाम ::—

हिरालाल पिता राजु भाई जाति गुर्जर उम्र 38 वर्ष निवासी साकरोदा जिला राजसमंद वैगेरा

— **अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 जब्तशुदा ज्वलनशील तरल पदार्थ 1000 लीटर अवैध रूप से संग्रहित एंव विक्रय किये जाने से जब्त सरकार कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अन्तर्गत राजसात करने बाबत।

उपस्थितः—

1— श्री अनिल बागोरा, राजकिय अधिवक्ता, अधिवक्ता प्रार्थी।

2— श्री ललित साहु, अधिवक्ता अप्रार्थी अनुपस्थित।

:: निर्णय ::

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत धारा 6 ए मे जब्तशुदा ज्वलनशील तरल पदार्थ 1000 लीटर अवैध रूप से संग्रहित एवं विक्रय किये जाने वाले से जब्त सरकार कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अन्तर्गत राजसात कराने बाबत निवेदन किया कि दिनांक 03.09.2021 को श्रीमान जितेन्द्र आंचलिया पुलिस उप अधीक्षक वृत्त नाथद्वारा चार्ज वृत राजसमन्द ने पर्चा कायनी इस आशय की पेश की कि दिनांक 02.09.2021 को मन वृताधिकारी को आमदा सुचना श्री प्रवीण जुगतावत थाना प्रभारी थाना राजनगर के बिना तलाशी वारण्ट कार्यवाही की जाना उचित होने से प्राप्त सूचना से उच्चाधिकारियो को अवगत करवाया गया तथा मन पुलिस उप अधीक्षक जितेन्द्र ऑचलिया मय जाब्ता श्री ओमसिंह हैड कानि नं0 568 मय सरकारी वाहन चालक श्री रमेश कुमार नं. 1100 आवश्यक अनुसंधान सामग्री लेपटॉप, प्रिन्टर आदि के मुख्यालय नाथद्वारा से रवाना हो पीपरडा चुंगीनाका के पास डायमंड मार्बल के पिछे सन्तोष मार्बल पर जाने वाले कच्चे रास्ते पर समय 11.30 पीएम पर पंहुचा। जहाँ मुताबिक वार्ता के श्री चक्षु पाड्या प्रवर्तन अधिकारी, रसद विभाग राजसमन्द एवं श्री प्रवीण जुगतावत थाना प्रभारी थाना राजनगर मय जाप्ता जाप्ता सउनि श्री विरेन्द्रसिंह, हैड कानि श्री हकिम खां नं. 697, कानि. श्री विरेन्द्र नं. 869, कानि, मय वाहन सरकारी व चालक श्री कन्हैयालाल नं. 823 के उपस्थित मिले। मौके पर एक व्यक्ति एक ट्रेक्टर के टेंकर के पास खड़ा मिला तथा उक्त ट्रेक्टर के टेंकर को एक पेट्रोलियम पदार्थ नापने के इलेक्ट्रोनिक मिटर से पाईप से जोड कर एक ट्रक नम्बर आर जे 14 जीएल 0756 के डिजल टैंक में पाईप व नोजल लगा कर डिजल भरने की स्थित में मिला। मौके की कार्यवाही हेतु उपस्थित श्री चक्षु पाड्या प्रर्वतन निरीक्षक रसद विभाग राजसमन्द एवं पुलिस जाप्ता में से

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

सउनि श्री विरेन्द्रसिंह थाना राजनगर को नियमानुसार मौतबिर मामुर किया गया। ट्रेक्टर टेंकर का ढक्कन हटाकर देखा तो टैंकर के अन्दर पेट्रोलियम जैसा तरल पदार्थ भरा हुआ पाया गया। उक्त तरल पदार्थ को मौजुदा रसद अधिकारियों एवं मन् पुलिस उप अधीक्षक व जाप्ता द्वारा देखने व सूघने व परखने पर डीजल/पेट्रोल जैसा पेट्रोलियम तरल पदार्थ होना पाया गया। टैंकर में भरा हुआ तरल पदार्थ अत्यन्त ही ज्वलनशील होकर अवैध तरीके से वाहनो में ईधन के रूप में उपयोग में लिया जाने हेतु भरना पाया गया है। मौके पर उपस्थित श्री चक्षु पांडया प्रवर्तन निरीक्षक, डीएसओ राजसमन्द द्वारा भी उक्त तरल पदार्थ को निकालकर सुंघने, देखने व छुने पर चिकनाई युक्त डीजल/पेट्रोल जैसा पेट्रोलियम तरल पदार्थ होना बताया तथा अवैध डीजल की उपकरणो से जाचं की तो डेनसिटी 846, टैम्परेचर 26.05 व डेन्सिटी चार्ट 853.9 होना बताया। उक्त पेट्रोलियम तरल पदार्थ को इस तरह ट्रेक्टर के टैंकर में संग्रहण करने के संबंध में टेंकर के पास खड़े व्यक्ति से टेंकर के मालिक के बारे में व वाहनो में डीजल भरने के वैध लाईसेंस और अन्य वैध कागजात पुछा तो उस व्यक्ति ने ट्रेक्टर का टेंकर व तरल पेट्रोलियम पदार्थ अपना होना बताया व अपने पास कोई वैध लाईसेंस और कोई अन्य कागजात नहीं होना बताया। जिस पर उक्त व्यक्ति का नाम पता पुछा तो अपना नाम हिरालाल पिता राजु भाई जाति गुर्जर उम्र 38 वर्ष निवासी साकरोदा थाना राजनगर जिला राजसमन्द होना बताया। टैंकर में भरे पेट्रोलियम तरल पदार्थ या वाहन इंधन द्रव्य पदार्थ होने की सम्भावना होने से जाँच की कार्यवाही हेतु श्री चक्षु पांडया प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय राजसमन्द द्वारा विक्रय अधिकारी भारत पेट्रोलियम से मालुमात कर पास ही स्थित पट्रोल पम्प से लाये गये नियमानुसार एल्युमिनीयम की तीन बोतलो को टैंकर में भरे पेट्रोलियम तरल पदार्थ से धोकर व सुखाकर टेंकर में भरे तरल पदार्थ को अलग–अलग करीब एक–एक लीटर तीन बोतलो में बतौर नमूना सेम्पल, कण्ट्रोल सेम्पल व अतिरिक्त सैम्पल के तौर पर लिया जाकर तीनो ही एल्युमिनियम की बोतलो को अलग–अलग लकडी के डिब्बे में रख क्रमशः मार्क ए, बी व सी दिया जाकर सिल चिट बन्द किया गया। टैंकर में भरे तरल पदार्थ को दुसरे 200–200 लीटर के 5 ड्रम में खाली कर माप किया तो करीब 1000 लीटर तरल पदार्थ होना पाया गया। नाप करने के बाद ड्रम को उसी ट्रेक्टर के टैंकर में पुनः खाली कर ट्रेक्टर के टैंकर पर चिट चस्पा किया गया। मौके पर बरामद डिजल, पाईप, ईलेक्ट्रोनिक मिटर, नोजल, ट्रेक्टर का टैंकर व ट्रक सभी सामग्री को जरीये फर्द जब्ती जब्त किया गया। बिना अनुज्ञापत्र के अमान्य वाहन ईधन तरल पदार्थ को ईधन के रूप में वाहनो में भरकर अनुचित लाभ प्राप्त करने हेतु संग्रहण/विक्रय करना अपराध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 व धारा 420, 285 भादस का दण्डनीय अपराध होने से मौके पर डिजल भर रहे श्री हिरालाल पिता राजु भाई जाति गुर्जर उम्र 38 वर्ष निवासी साकरोदा थाना राजनगर जिला राजसमन्द को जरीये फर्द गिरफतारी गिरफ्तार किया गया। बाद सम्पुर्ण कार्यवाही के जब्तशुदा पेट्रोलियम तरल पदार्थ टैंकर वाहन के तथा नमूना सेम्पल व कंण्ट्रोल सेम्पल व गिरफतार शुदा अभियुक्तगण को हमराह ले मन पुलिस उप अधीक्षक मय जाप्ता वाहन के मौके से रवाना थाना राजनगर हुआ थाने पर पहुंच प्रकरण पंजीबद्ध कराया जायेगा। वगैरा पर्चा कायमी पर प्रकरण संख्या 279/2021 धारा 3/7 ईसी एक्ट व 420,285 भा.द.सं. मे दर्ज किया जाकर अनुसंधान श्री पैशावर खां उ0नि0 थानाधिकारी कुवारिया के जिम्मे किया गया व जब्तशुदा ट्रेक्टर के टैंकर को एवम् मालखाना को संभलाकर सुरक्षित खड़ा करवाया गया। अतः श्रीमान से निवेदन है कि जब्तशुदा ट्रेक्टर के टैंकर में भरा हुआ 1000 लीटर तरल पदार्थ को राजसात करने की कृपा करे चुकी उक्त सामग्री शीघ्र ज्वलनशील वस्तु है। अतः धारा 6 ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत उक्त तरल पदार्थ का अन्तिम निस्तारण (नष्ट) करने के आदेश प्रदान कराने की कृपा करावें।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई। अप्रार्थी की ओर अधिवक्ता श्री घनश्याम सिंह भाटी द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत कर उपस्थिति दी गई।

प्रार्थी वाहन स्वामी फकरू पिता मजीदा जरिये अधिकार–पत्र धारक तोफिक हुसैन पिता श्री मजीदा की ओर अधिवक्ता श्री सुनील बोहरा वकालतनामा प्रस्तुत कर वाहन संख्या आर जे 14 जी एल 0756 को छुड़ाने हेतु जुर्म अंतर्गत धारा 420, 285 भा.द.सं. 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम प्रार्थना पत्र वाहन, चाबियां व जब्तशुदा दस्तावेजात् सिपूर्दगी बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिसके क्रम में न्यायालय द्वारा दिनांक 01.10.2021 को प्रार्थी फकरू पिता मजीदा जरिये अधिकार–पत्र धारक तोफिक हुसैन पिता श्री मजीदा का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए दिनांक 01.10.2021 को वाहन को छोड़ा गया।

वक्ते बहस अधिवक्ता अप्रार्थी के अनुपस्थित रहने से राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। प्रार्थी राजकीय अधिवक्ता के द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया कि मन पुलिस उप अधीक्षक जितेन्द्र ऑचलिया मय जाब्ता द्वारा मौके पर पीपरडा चुंगीनाका के पास डायमंड मार्बल के पिछे सन्तोष मार्बल पर जाने वाले कच्चे रास्ते पर समय 11.30 पीएम पर पंहुचा। जहाँ मुताबिक वार्ता के श्री चक्षु पाड्या प्रवर्तन अधिकारी, रसद विभाग राजसमन्द एवं श्री प्रवीण जुगतावत थाना प्रभारी थाना राजनगर मय जाप्ता जाप्ता सउनि श्री विरेन्द्रसिंह, हैड कानि श्री हकिम खां नं. 697, कानि. श्री विरेन्द्र नं. 869, कानि, मय वाहन सरकारी व चालक श्री कन्हैयालाल नं. 823 के उपस्थित मिले। मौके पर एक व्यक्ति एक ट्रेक्टर के टेकर के पास खड़ा मिला तथा उक्त ट्रेक्टर के टेंकर को एक पेट्रोलियम पदार्थ नापने के इलेक्ट्रोनिक मिटर से पाईप से जोड कर एक ट्रक नम्बर आर जे 14 जीएल 0756 के डिजल टैंक में पाईप व नोजल लगा कर डिजल भरने की स्थित में मिला। मौके की कार्यवाही हेतु उपस्थित श्री चक्षु पांड्या प्रर्वतन निरीक्षक रसद विभाग राजसमन्द एवं पुलिस जाप्ता में से सउनि श्री विरेन्द्रसिंह थाना राजनगर को नियमानुसार मौतबिर मामुर किया गया। ट्रेक्टर टेंकर का ढक्कन हटाकर देखा तो टैंकर के अन्दर पेट्रोलियम जैसा तरल पदार्थ भरा हुआ पाया गया। उक्त तरल पदार्थ को मौजुदा रसद अधिकारियों एवं मन् पुलिस उप अधीक्षक व जाप्ता द्वारा देखने व सूघने व परखने पर डीजल/पेट्रोल जैसा पेट्रोलियम तरल पदार्थ होना पाया गया। टैंकर में भरा हुआ तरल पदार्थ अत्यन्त ही ज्वलनशील होकर अवैध तरीके से वाहनो में ईधन के रूप में उपयोग में लिया जाने हेतु भरना पाया गया है। उक्त पेट्रोलियम तरल पदार्थ को इस तरह ट्रेक्टर के टैंकर में संग्रहण करने संबंध में टेकर के पास खड़े व्यक्तिं से टेंकर के मालिक के बारे में व वाहनो में डीजल भरने के वैध लाईसेंस और अन्य वैध कागजात पुछा तो उस व्यक्ति ने ट्रेक्टर का टेंकर व तरल पेट्रोलियम पदार्थ अपना होना बताया व अपने पास कोई वैध लाईसेंस और कोई अन्य कागजात नहीं होना बताया। जिस पर उक्त व्यक्ति का नाम पता पुछा तो अपना नाम हिरालाल पिता राजु भाई जाति गुर्जर उम्र 38 वर्ष निवासी साकरोदा थाना राजनगर जिला राजसमन्द होना बताया। नाप करने के बाद ड्रम को उसी ट्रेक्टर के टैंकर में पुनः खाली कर ट्रेक्टर के टैंकर पर चिट चस्पा किया गया। मौके पर बरामद डिजल, पाईप, ईलेक्ट्रोनिक मिटर, नोजल, ट्रेक्टर का टैंकर व ट्रक सभी सामग्री को जरीये फर्द जब्ती जब्त किया गया। बिना अनुज्ञापत्र के अमान्य वाहन ईधन तरल पदार्थ को ईधन के रूप में वाहनो में भरकर अनुचित लाभ प्राप्त करने हेतु संग्रहण/विक्रय करना अपराध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 व धारा 420,285 भादस का दण्डनीय अपराध होने से मौके पर डिजल भर रहे श्री हिरालाल पिता राजु भाई जाति गुर्जर उम्र 38 वर्ष निवासी साकरोदा थाना राजनगर जिला राजसमन्द को

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

जरीये फर्द गिरफतारी के गिरफ्तार किया गया। अतः श्रीमान से निवेदन है कि जब्तशुदा ट्रेक्टर के टैंकर में भरा हुआ 1000 लीटर तरल पदार्थ को राजसात करने की कृपा करे तथा धारा 6 ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत उक्त तरल पदार्थ का अन्तिरम निस्तारण (नष्ट) करने के आदेश प्रदान करावें।

राजकीय अधिवक्ता की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया तथा मामले में गुणावगुण के आधार पर विचार किया गया। थानाधिकारी द्वारा दर्ज एफआईआर संख्या 0279/2021 का अध्ययन किया। एफआईआर के अनुसार अप्रार्थीगण ट्रक नम्बर आर जे 14 जीएल 0756 के डिजल टेंक में पाईप व नोजल लगाकर डिजल भरने की स्थिति में मिले तथा टैंकर के अंदर पेट्रोलियम जैसा तरल पदार्थ भरा हुआ पाया गया तथा टैंकर में भरा हुआ तरल पदार्थ अत्यन्त ही ज्वलनशील होकर अवैध तरीके से वाहनो में ईधन के रूप में उपयोग में लिया जाने हेतु भरा पाया गया। साथ ही इस संबंध में टैंकर के पास खड़े व्यक्ति से टेंकर के मालिक के बारे में व वाहनो में डिजल भरने के वैध लाईसेंस और अन्य कागजात के बारे में पूछा तो ट्रेक्टर का टेंकर व पेट्रोलियम पदार्थ का अपना होना बताया। अप्राथी द्वारा पूछताछ में कोई अनुज्ञापत्र नहीं होना बताया।

अतः यहां यह स्पष्ट रूप से जाहिर आया है कि क्षैत्र में अवैध पेट्रोल व डीजल का व्यवसाय करने वालो का समूह सक्रिय रूप से कार्यरत है। तथा अवैध पेट्रोल व डीजल की बिक्री किया जाना न केवल मानव सुरक्षा की दृष्टि से अनुचित है अपितु इस प्रकार के रासायनिक पदार्थ का अन्यथा उपयोग किये जाने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है जिससे मानव स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो सके। अतः बिना विक्रय संबंधी दस्तावेजो के अवैध तरल पदार्थ का विक्रय करना दस्तावेजो से प्रमाणित होता है।

अतः उपरोक्त आधार पर टेंकर में संग्रहित 1000 लीटर तरल रासायनिक पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करना न्यायोचित समझता हूँ।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी से जब्तशुदा 1000 लीटर तरल रासायनिक पेट्रोलियम पदार्थ मय समस्त अन्य सामान, जो उक्त कार्यावाही में जब्त किये गये है, को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा जिला रसद अधिकारी राजसमन्द को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थी से जब्तशुदा 1000 लीटर तरल रासायनिक पेट्रोलियम पदार्थ व समस्त अन्य सामान का नियमानुसार निस्तारण कर राशि राज्यमद में जमा करावे। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी राजसमन्द को भिजवायी जावे।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 03.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)